क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने ली बैठक

कलेक्टर के निर्देश पर आईएसबीटी के सुचारु संचालन को लेकर बस ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 05 जुलाई। आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) के सुचारु संचालन, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा बस संचालन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कंग ने बस ऑपरेटरों की बैठक ली। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस ऑपरेटरों को बताया कि शीघ्र ही शहर में ई-बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, जिससे यात्रियों की आवाजाही और अधिक सुगम होगी तथा आईएसबीटी तक यात्रियों की पहुँच भी बेहतर हो सकेगी। इससे बस ऑपरेटर्स को पर्याप्त सवारियां मिलेंगीं।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में बस ऑपरेटरों ने बताया कि भिण्ड एवं मुरैना की ओर संचालित होने वाली बसों को आईएसबीटी से संचालित किया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक चरण में यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने से कुछ कठिनाइयां सामने आ रही हैं। हमें आशा है कि ये कठिनाइयां जल्द दूर हो जायेंगीं। बस ऑपरेटर्स ने आईएसबीटी के प्रभावी संचालन में शासन एवं प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

बस ऑपरेटर्स का कहना था कि अधिक से अधिक बसों का संचालन आईएसबीटी से करने के लिये हम सब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में यात्रियों को भी आईएसबीटी पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। बैठक में आईएसबीटी के वेंडर प्रतिनिधि श्री मनेन्द्र ने बस ऑपरेटरों को जानकारी दी कि यदि कोई वाहन स्वामी टिकट काउंटर का संचालन करना चाहता है, तो नियमानुसार उसे टिकट काउंटर उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक में बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी बलवीर सिंह तोमर, पदम गुप्ता, हरीशंकर पटेल, देवेन्द्र सिंह जादौन (बबलू), मुरैना से हरि सिंह सिकरवार, मुकेश सिंह एवं रणवीर सिंह सहित स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाठक तथा परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रेलवे ने 30 सितंबर तक बंद किए कई सब-वे

ग्वालियर, 5 जुलाई। मानसून की सक्रियता और भारी बारिश के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों व आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उत्तर मध्य रेलवे ने ग्वालियर-इटावा रेल खंड पर स्थित कई महत्वपूर्ण सब-वे (अंडरपास) को आज 5 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कदम बारिश के दौरान होने वाले संभावित जलभराव और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर उठाया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिरलानगर और शनिचरा स्टेशन के बीच स्थित सब-वे संख्या-8 पर हर साल भारी पानी जमा हो जाता है, जिससे वाहनों के फंसने का खतरा रहता है। जन सुरक्षा हेतु इसे बंद कर दिया गया है। इस दौरान राहगीर वैकल्पिक मार्ग के रूप में सब-वे संख्या-7 का उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह, मालनपुर और गोहद के बीच स्थित सब-वे संख्या-24 को भी बंद किया गया है, जिसके विकल्प के रूप में सब-वे संख्या-23 चालू रहेगा। गोहद और सोनी स्टेशनों के मध्य स्थित सब-वे संख्या-38 को भी बंद कर दिया गया है, जबकि नियमित यात्रियों की सुविधा के लिए सब-वे संख्या-39 को वैकल्पिक मार्ग के रूप में खुला रखा गया है।

डॉ. सिकरवार ने सड़क निर्माण के लिए किया भूमिपूजन

▸ **वार्ड 57 में 33 लाख 50 हजार रूपये की लागत से होगा डामरीकरण कार्य**

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 5 जुलाई। 16 ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने आज वार्ड क्रमांक 57 के अंतर्गत अचलेश्वर चौराहा मल्टी से महाराणा प्रताप नगर होते हुये विवेकानंद चौराहा तक सड़क डामरीकरण कार्य के लिये क्षेत्रीय पार्षद एवं एम.आई.सी सदस्य अवधेश कौरव एवं क्षेत्रीय नागरिकों के साथ भूमिपूजन किया। यह डामरीकरण सड़क निर्माण का कार्य लगभग 33 लाख 50 हजार रूपये की लागत से कराया जायेगा।

भूमिपूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा विधायक डॉ. सतीश सिकरवार एवं पार्षद अवधेश कौरव का पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक डॉ. सिकरवार ने क्षेत्रीय नागरिकों को संबोधित करते हुये कहा कि यह सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, आप सभी के सहयोग, विश्वास और आशीर्वाद से क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर गति पकड़ रहे हैं। भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शिवहरे, पार्षद अंकित कठ्ठल, महेश कुशवाह, रशीद खान, धर्मवीर जाटव, एड. राजा यादव, विजय बहादुर त्यागी, हिमांशु कोकन, धर्मेन्द्र जादौन, अमजद खान, करन शाक्य, मोनू कुशवाह, ओमप्रकाश चौहान, अभय कुमार सिंह सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

गोविंदपुरी के कैफे में आधी रात को बवाल

दो पक्षों की पार्टी में छींटाकशी के बाद सिर फोड़ा

ग्वालियर, 5 जुलाई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिल्वर स्टेट गोविंदपुरी स्थित एक नामी कैफे में शनिवार आधी रात को दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। पार्टी के दौरान शुरू हुई मामूली छींटाकशी इतनी बढ़ी कि कुछ ही देर में कैफे अखाड़े में तब्दील हो गया और मारपीट में एक युवक का सिर फट गया।

पुलिस के अनुसार, गोविंदपुरी स्थित एसजी टावर में बने 'वीवायबी कैफे' में शनिवार रात पार्टियां चल रही थीं। एक तरफ समाधिया कॉलोनी हारकोटासीर निवासी धर्मेंद्र चौरसिया अपने दोस्तों के साथ था, तो दूसरी तरफ कुछ अन्य युवक पार्टी कर रहे थे। रात करीब 12 बजे दोनों पक्षों में एक-दूसरे पर फब्तियां कसने और गाली-गलौज को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते चार युवकों ने मिलकर धर्मेंद्र चौरसिया पर हमला कर दिया और कैफे की कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। मारपीट के दौरान धर्मेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। युवक को लहुलूहान देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल धर्मेंद्र ने तुरंत विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। विश्वविद्यालय थाना टीआई रविन्द्र जाटव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सुबह 4:45 बजे चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कैफे के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है।

शराब पीने से रोका तो किसान को पीटा

ग्वालियर, 5 जुलाई। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम इलाके में अपने ही खेत पर शराब पीने से मना करने पर एक किसान और उसके पड़ोसी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने न सिर्फ खेत पर हमला किया, बल्कि पीड़ितों के घरों के बाहर पहुंचकर भी रातभर हंगामा काटा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में चार आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, खड़ेश्वरी मंदिर चार शहर का नाका निवासी महेंद्र कुमार पटेल शताब्दीपुरम स्थित अपनी जमीन पर खेती करते हैं। शनिवार रात खेत पर क्षेत्र के ही अशोक राठौर, नरेन्द्र, हरेन्द्र और विष्णु राठौर सहित कुछ अन्य लोग बैठकर शराब पी रहे थे। महेंद्र कुमार ने जब उन्हें वहां शराब पीने से मना किया, तो आरोपी तैश में आ गए और महेंद्र के साथ जमकर मारपीट कर दी। उन्होंने लोधी चौक व कृष्णा विहार कॉलोनी स्थित पीड़ितों के घरों पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने कृष्णा विहार में रहने वाले विनोद राठौर पुत्र करन सिंह राठौर के घर के बाहर गाली-गलौज और पथराव किया। विनोद ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। महाराजपुरा थाना टीआई यशवंत गोयल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रात में ही घेराबंदी कर चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

600 पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ वृहद पौधारोपण अभियान शुरू

ग्वालियर, 5 जुलाई। भारत विकास परिषद मध्य भारत उत्तर प्रांत ने रविवार को वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शिवपुरी लिंक रोड स्थित अजयपुर में वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 600 से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में 125 नीम, पीपल, बरगद, जामुन, गुलमोहर एवं कचनार सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेघना सिंघल ने की तथा संचालन सुमित्रा सिकरवार ने किया। इस अवसर पर राम कुमार चोपड़ा, सुधीर अग्रवाल, अरविंद गौर, विम्मी सचदेवा, एस.के. सिंघी, नीरव सिंघल सहित वन विभाग के वनमंडलाधिकारी अवधेश कुमार मीणा एवं उनकी टीम मौजूद रही। अभियान में परिषद की 10 शाखाओं के 76 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

In The Court Of XI Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Gwalior
Presiding Officer : महेश कुमार झा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के **अन्तर्गत प्रकाशन हेतु**) (MACC/0001077/2024)
ममता देवी.....वादी
VS
श्रीकृष्ण सिंह.....प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 31/07/2026
//प्रेषिती//

(1) श्रीकृष्ण सिंह पिता विजय सिंह पता ए ब्लॉक वार्ड नंबर 60 हुरावली मुरार जिला ग्वालियर। यह कि प्रार्थी ममता देवी ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 23 June 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
महेश कुमार झा
न्यायाधीश
सदस्य, एकादशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (म.प्र)

टिप्पणी
कृपया ध्यान दे
1. यदि किसी अशिव उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

संबंध विच्छेद आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री जगदीश बाबू सविता पुत्र स्वं. श्री श्रीलाल सविता निवासी-घासमंडी सुभाषपुरी ग्वालियर म.प्र. की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की पुत्री सांत्वना का विवाह वर्ष 2006 में श्री यौगेश गोहदिया पुत्र श्री राधेश्याम गोहदिया नि. महलगांव ग्वालियर म.प्र. के साथ हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ था विवाह के पश्चात से ही योगेश व उसका परिवारजन मेरी पुत्री को परेशान करते है तथा मेरे पक्षकार व उसके परिवार पर भी झुठे मामले पंजीवद्ध करवा चुके है तथा मेरे पक्षकार व उसके परिवार को भविष्य में झूठे प्रकरण में फसाने की धमकी दे रहे है। इस सूचना से पूर्व मेरे द्वारा एक आम सूचना संबंध विच्छेद हेतु दिनांक 08.03.2026 को प्रकाशित हुई थी परंतु रिश्तेदारो व समाज की समझाईश से मेरे द्वारा अपनी बेटी व दामाद को क्षमा कर संबंध पुनः स्थापित हुए थे मेरे द्वारा पूरे सम्मान व आदर के साथ बेटी व दामाद तथा उनके परिवार को अपने घर शादी मे न्योता किया परन्तु शादी के बाद मेरे दामाद फिर वही अपने वास्तविक रूप मे आकर मुझे गाली गलौंच करने लगे है इस कारण से आज से मेरा व मेरे परिवार का पूर्ण रूप से मेरी पुत्री सांत्वना व दामाद योगेश व उनके परिवार जन से कोई संबंध व सरोकार नही रहेगा और ना ही किसी प्रकार एक दूसरे के घर आना जानां रहेगा।अतः इस आम सूचना के द्वारा सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार व उसके परिवार का उसकी पुत्री सांत्वना व दामाद योगेश व उनके परिवार जन से किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक व परिवारिक संबंध नही है, मेरे पक्षकार व उसके परिवार ने उनसे सभी प्रकार के संबंध तोड़ लिये है। इस सूचना के उपरांत यदि किसी व्यक्ति यां संस्था द्वारा किसी तरह का कोई संव्यवहार पुत्री सांत्वना, व दामाद योगेश व उनके परिवार जन से किया जाता है तो ऐसा संव्यवहार मेरे पक्षकार व उसके परिवार के हित के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी होगा भविष्य मे पुत्री सांत्वना एंव दामाद योगेश व उनके परिवार जन अपने किसी भी कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे, उनके किसी भी कृत्य से मेरे, पक्षकार व उसके परिवार का कोई संबंध नही होगा। मेरे पक्षकार के द्वारा इस आम सूचना के प्रकाशन से पुत्री सांत्वना व दामाद योगेश व उनके परिवार जन से संबंध समाप्त होने की उद्घघोषणा की जाती है। ऐसा सूचित हो।
दिनांक : 5/7/2026
स्थान : ग्वालियर

नितिन गोयोल एडवोकेट
Mo. No. 9589613111
OFFICE:-002, F-Block, 141-142 Pitambara Apartment Harishankar puram Gwalior (M.P.)

दिगंबर सोशल ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षक का दिया संदेश

▸ **पौधा रोपण पर्यावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है : निर्मला पाटनी**

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 5 जुलाई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर की ओर से आज रविवार को चलो करे हम जिन वंदन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम गेंडे वाली सड़क स्थित दिगंबर शांतिनाथ जैन नसिया में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के महिला एवं पुरुषों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और उन्हे सहेजने का संकल्प लिया।

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि वृक्षारोपण का शुभारंभ भगवान शांतिनाथ की आरती उतारकर किया गया। वही मुख्य अतिथि संरक्षक निर्मल पाटनी एवं संस्थापक अध्यक्ष अंकिता अनामिका पाटनी का सम्मान अध्यक्ष विपिन सुनीत जैन, सचिव हितेंद्र प्रियंका जैन एवं कोषाध्यक्ष सुधीर स्वाति जैन ने किया। वही दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के मेंबरों में वृक्षा रोपण में गुलाब, जड़ी-बूटी, तुलसी, नीम, आंवला, आम, आदि 51पौधे रोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।

इस मौके संरक्षक निर्मल पाटनी ने कहा कि पौधा रोपण पर्यावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। पेड़ कार्बनडाई ऑक्साइड सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। पौधे और पेड़ गर्मी को कम करते है ओर आसपास के तापमान को नियंत्रित रखते है, जिन क्षेत्रों में अधिक पेड़ होते है वहां अच्छी बारिश होती है। संस्थापक अध्यक्ष अंकिता पाटनी ने कहा कि लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथिन और सिल्वर फॉयल का उपयोग बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे।

कार्यक्रम में अध्यक्ष विपिन सुनीत जैन, सचिव हितेंद्र प्रियंका जैन, कोषाध्यक्ष सुधीर स्वाति जैन, संजय अंजलि कांगदी, करण राशु पाटनी, दीपक आरती जैन, कार्तिक श्वेता जैन, गौरव रेशु जैन, हन्नी शालू जैन, अनुज रखी जैन, सचिन ऐश्वर्या जैन मौजूद थे। संचालन अंकिता अनामिका जैन एवं आभार सचिव हितेंद्र प्रियंका जैन ने किया।

21 फुट ऊँची भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा पूजन ओर आरती उतारी

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर के सभी महिलाएं ओर पुरुषगणों ने मिलकर 21 फुट ऊँची भगवान शांतिनाथ की प्राचीन प्रतिमा का अष्ट द्रव्य से पूजन किया गया। वही सामूहिक रूप से दीपको से महा आरती उतारी गई।

CHANGE OF NAME

I, **Sangita** mother of **Army No. 15441638F Naik Khose Kishor Rabhaji** presently residing at Vill - **At Post -Apdhup, Tal. Parner, District - Ahilyanagar, State - Maharashtra PIN-414301** do hereby solemnly affirm and state on oath as follows. That, I have changed my name from **Sangita** to **Sangita Rabhaji Khose** due to wrongly entered in **my Son's service documents.** That, I am producing this affidavit for the purpose of evidence for **my Name.** That, both names **Sangita** and **Sangita Rabhaji Khose** pertain to one and the same person. That, I shall at all times hereafter in all records. Deeds and writing and in all proceeding dealing with transactions, private as well as under all occasions what so ever be known as only **Sangita Rabhaji Khose.** Vide- **Affidavit No. 80AB060156, Date: 13-06-2026**

CHANGE OF NAME

I, **Khose Rabhaji Kanhu** Father of **Army No. 15441638F Naik Khose Kishor Rabhaji** presently residing at Vill - **At Post-Apdhup. Tal. Parner, District-Ahilyanagar, State - Maharashtra PIN - 414301** do hereby solemnly affirm and state on oath as follows- That, I have changed my name from **Khose Rabhaji Kanhu** to **Rabhaji Kanhu Khose** due to wrongly entered in my Son's service documents. That, I am producing this affidavit for the purpose of evidence for **my Name.** That, both names **Khose Rabhaji Kanhu** and **Rabhaji Kanhu Khose** pertain to one and the same person. That, I shall at all times hereafter in all records. Deeds and writing and in all proceeding dealing with transactions, private as well as under all occasions what so ever be known as only **Rabhaji Kanhu Khose.** Vide **Affidavit No. 80AB 060155, Date: 13.06-2026**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक 2568/ग्रायांसे/ई-निविदा/2026 **शिवपुरी दिनांक 01.07.2026**

संक्षिप्त अल्पकालीन निविदा सूचना क्रमांक 13/01.07.2026

लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दर अनुसूची दिनांक 11-04-2022 एवं निविदा आमंत्रण दिनांक तक संशोधित प्रतिशत दर पर आदिम जाति कल्याण 0494 आश्रम शालाएँ योजना अन्तर्गत 11 शासकीय छात्रावासों में मरम्मत कार्यों की लागत रु. 42.63 लाख की निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 07.07.2026 से 16.07.2026 तक अदयोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से निर्धारित शुल्क मद 0515-00-800-0000 (Other receipts) में चालान द्वारा जमा कर प्राप्त व जमा किए जा सकेंगे एवं निविदा दिनांक 17.07.2026 को अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपरान्ह 3.30 बजे खोली जावेंगी।

उक्त निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्तें कार्यालयीन समय में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं।

G-15280/26
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग शिवपुरी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)
(CIN: L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना
सोने की पुन: नीलामी सह आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन)

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्होंने सोने के आभूषण गिरवी रखकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं. निम्नलिखित ऋण संपत्तियों को पहले भौतिक रूप से नीलाम किया गया था, जो सफल नहीं रहा. तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, गिरवी रखे गए सोने या आभूषणों की ऑनलाइन पुनर्नीलामी **6/8/2026** को बकाया राशि की वसूली के लिए आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा गिरवी रखे गए सोने के आभूषण बेच दिए जाएंगे.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
172485245	नीलेश यादव	दतिया एमबीएल

नीलामी की स्थिति में यदि नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा/कमी होती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिना पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है. इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. नीलामी का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से **https://idfcegold.auctiontiger.net** पर **6/8/2026** को **दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक** और **http://gold.samil.in** पर **दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक** किया जाएगा. कृपया ध्यान दें कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो गई है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी.

दिनांक : 6-7-2026 **हस्ताक्षर/-**
स्थान : मध्य प्रदेश **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी**

सेवा परमो धर्म : बजरंग भक्त मंडल ने गौशाला में कराया 1225 किलो चारा

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 5 जुलाई। पिछले 7 वर्षों से बिना रुके अनवरत जारी हैं मंडल के सेवा कार्य दानदाताओं और सदस्यों के सहयोग से हर हफ्ते गौसेवा और हर महीने होता है अन्नदान ग्वालियर। 'नर सेवा ही नारायण सेवा है' और 'गौ सेवा ही परम धर्म है' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए बजरंग भक्त मंडल पिछले 7 वर्षों से समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। बिना किसी स्वार्थ के, मंडल के सदस्य लगातार पीड़ितों और मूक पशुओं की सेवा में समर्पित हैं। इसी कड़ी में इस सप्ताह भी मंडल द्वारा भव्य स्तर पर गौ-सेवा और भोजन वितरण सेवा का आयोजन किया गया। मंडल के अध्यक्ष आशीष मंगल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बजरंग भक्त मंडल द्वारा एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत प्रति सप्ताह जनकताल स्थित गौशाला में मूक गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही, प्रति माह जयारोग्य अस्पताल परिसर में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और दूर-दराज से आए उनके तीमारदारों (अटेंडरों) के लिए नि:शुल्क भोजन वितरण किया जाता है। यह सभी सेवा कार्य मंडल के निष्ठावान सदस्यों और परमार्थी दानदाताओं के सहयोग से पूरी पारदर्शिता और श्रद्धा के साथ संचालित किए जा रहे हैं।

मूक गौवंश को हरा चारा और जरूरतमंदों को तृप्ति

परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह मंडल के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे पहले जनकताल गौशाला पहुंचकर गायों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए 1225 किलो (सवा बारह क्विंटल) उत्तम किस्म का हरा चारा अर्पित किया गया। इसके उपरांत, जयारोग्य अस्पताल परिसर में भोजन शिविर लगाया गया। इस शिविर में अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती लगभग 400 मरीजों और उनके परिजनों को पूरी स्वच्छता के साथ तैयार किया गया गर्म दाल-चावल वितरित किया गया। भोजन पाकर मरीजों के परिजनों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने संस्था के इस प्रयास की सराहना की।

सेवा पथ पर डटे रहे मंडल के कर्मवीर : इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए मंडल के अध्यक्ष आशीष मंगल, अमन गर्ग, रामकिशोर मंगल, नमन अवस्थी, हरीश अग्रवाल, दीपक शर्मा, राजीव जादौन, संतोष शिवहरे, संजय श्रीवास्तव, भानु राजपूत, विशाल शर्मा, सिद्धार्थ गुप्ता और हिमांशु सहित कई प्रबुद्ध नागरिकों ने उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं दीं। सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि यह सेवा यात्रा भविष्य में भी इसी तरह अनवरत जारी रहेगी।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्र. 16 वार्ड क्रं 35 भवन क्रमांक 648, शान्तिनगर 35 ग्वालियर-474001 में स्थित है। जो कि अभय त्रिवेदी प्रभाशंकर त्रिवेदी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र.-1000159532, पुराना क्र.आईडी 192313 पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 2580 वर्ग फुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विषय पत्र क्रं आर-26032600537438 दिनांक 26-03-2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियाम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामंकन आवेदन जन्ममित्र समाधान केन्द्र जीवाजी गंज लश्कर ग्वालियर क्षेत्र क्र. 16/35 पर दिनांक :02-07-2026 को दिया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्र. 81/2010/39301/61483 है। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिन की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ती जारी दिनांक : 06-07- 2026.
आवेदक का नाम व पता
ब्रजमोहन भारद्वाज पुत्र श्री टालाराम भारद्वाज
पता - निरोगधाम योगा एवं नेचरोपैथी सेन्टर, फौजदारों का मोहल्ला, दाना ओली लश्कर ग्वालियर- 474001.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और बार-बार अनुस्मारक और नोटिस के बावजूद, उधारकर्ता सुविधा के तहत निर्धारित समय के भीतर बकाया देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं. तद्नुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने देय की वसूली के लिए 06-अगस्त-2026 से 07-अगस्त-2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू प्रासंगिक ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि चुकाने का यह अंतिम अवसर निरीक्षण/बोली तिथि से पहले है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नियामकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
171430264	आफरीन खान	शिवपुरी एमबीएल

नीलामी की स्थिति में यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी/कमी रहती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूली योग्य होगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना कोई पूर्व सूचना दिए, अपने विवेक से नीलामी कार्यक्रम को बाद की तारीख में संशोधित करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. नीलामी भौतिक मोड में इसके सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यदि ग्राहक मृत है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस पर लागू होंगी.

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री 'जहां है जैसा है', 'जिस स्थिति में है जैसा है' और 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर होगी.
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण कराना होगा और केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
3. बोली लगाने से पहले आभूषणों और विशिष्टताओं के बारे में खुद को जांचना और संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी. बोलीदाता शाखा प्रबंधक के परामर्श से आभूषणों का निरीक्षण कर सकता है.
4. उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी.
5. सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करेगा, ऐसा न करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
6. एक बार बेचे जाने के बाद गोल्ड पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीदार द्वारा इसका भौतिक कब्जा लेने के बाद विक्रेता की किसी भी प्रकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
7. बैंक का अधिकृत प्रतिनिधि बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
8. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

दिनांक : 06-07-2026 **हस्ताक्षर/-**
स्थान : मध्य प्रदेश **अधिकृत अधिकारी**
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और बार-बार अनुस्मारक और नोटिस के बावजूद, उधारकर्ता सुविधा के तहत निर्धारित समय के भीतर बकाया देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं. तद्नुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने देय की वसूली के लिए 11-अगस्त-2026 से 13-अगस्त-2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू प्रासंगिक ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि चुकाने का यह अंतिम अवसर निरीक्षण/बोली तिथि से पहले है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नियामकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
179136788	अर्जुन सिंह	ग्वालियर सिटी सेन्टर
178424917	दीपक कोरोचिया	ग्वालियर लश्कर एमबीएल
178325272	विक्रम सिंह	दतिया एमबीएल
178427376	अजय दांगी	दतिया एमबीएल

नीलामी की स्थिति में यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी/कमी रहती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूली योग्य होगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना कोई पूर्व सूचना दिए, अपने विवेक से नीलामी कार्यक्रम को बाद की तारीख में संशोधित करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. नीलामी भौतिक मोड में इसके सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यदि ग्राहक मृत है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस पर लागू होंगी.

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री 'जहां है जैसा है', 'जिस स्थिति में है जैसा है' और 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर होगी.
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण कराना होगा और केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
3. बोली लगाने से पहले आभूषणों और विशिष्टताओं के बारे में खुद को जांचना और संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी. बोलीदाता शाखा प्रबंधक के परामर्श से आभूषणों का निरीक्षण कर सकता है.
4. उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी.
5. सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करेगा, ऐसा न करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
6. एक बार बेचे जाने के बाद गोल्ड पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीदार द्वारा इसका भौतिक कब्जा लेने के बाद विक्रेता की किसी भी प्रकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
7. बैंक का अधिकृत प्रतिनिधि बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
8. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

दिनांक : 06-07-2026 **हस्ताक्षर/-**
स्थान : मध्य प्रदेश **अधिकृत अधिकारी**
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए